ए.सी.एस.सुबोध अग्रवाल के आवास पर सुबह से शुरू हुई ई.डी.की कार्रवाई देर रात तक चली

जल जीवन मिशन घोटालों के मामले में शुक्रवार को ई.डी. ने जलदाय मंत्री महेश जोशी, एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के आवास व कार्यालयों पर छापेमारी की

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटालों के मामले में शुक्रवार को ईडी की टीमों राज्य सरकार के जलदाय मंत्री महेश जोशी, विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के आवास और कार्यालयों छापेमारी कर सर्च की कार्रवाई की। इस दौरान ईडी ने जगतपुरा के प्रोपर्टी डीलर रामअवतार शर्मा व संजय बढ़ाया के यहां से 45 लाख रुपए जब्त किए है। वहीं पदमचंद जैन और अन्य ठेकेदारों के लगभग 1 करोड़ 75 लाख के बैंक खाते भी सीज किए गए है।

जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटले के मामले में ईडी ने शुक्रवार को जयपुर और दौसा में 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। सुबह अचानक हुई छापेमारी के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों में हडकंप मच गया। ईडी की टीमों ने सुबह साढ़े छह बजे जलभवन पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे तीन टीमें सचिवालय पहुंची और जलदाय विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल के ऑफिस में सर्च करना शुरू किया। इसके अलावा उनके गांधी नगर स्थित आवास पर भी टीम ने सर्च किया। इस दौरान उनके घर पर ईडी के अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की दो गाड़ियों में करीब एक दर्जन जवान पहुंचे। टीम ने अग्रवाल के आवास पर नौ कमरों की गहनता से तलाशी ली। इस बीच ईडी ने लैपटॉप, कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल के डाटा को रिकवर करवाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। वहीं कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग से सुबोध अग्रवाल की पत्नी रोली अग्रवाल से लाल रंग की फाइल मंगवाई गई। उधर ईडी की टीम ने सुबोध अग्रवाल के ऑफिस में शाम साढ़े सात बजे तक कार्रवाई की। इस दौरान जल जीवन मिशन का तमाम डेटा और रिकॉर्ड जब्त किया। देर रात तक उनके आवास पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई में जुटे रहे।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को जल भवन और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के निवास पर छापेमारी की।

वहीं जलदाय मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित कार्यालय में भी ईडी ने सर्च किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान ईडी ने वहां से हार्ड डिस्क जब्त की। इनके अलावा ईडी ने विभाग से जुड़े चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, इंजीनियर दिनेश गोयल, एक्सईएन संजय अग्रवाल के कार्यालय सहित अन्य ठिकानों पर भी सर्च किया। छापेमारी की सूचना मिलने पर यह सभी सीनियर अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचे।

- **ई.डी. ने प्रोपर्टी डीलर रामावतार शर्मा व संजय बढ़ाया के यहां से 45 लाख रुपए जब्त किए**
- **ई.डी. ने अग्रवाल के घर पर लैपटॉप, कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल के डाटा को रिकवर करवाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया।**
- **पदमचंद जैन और अन्य ठेकेदारों के लगभग 1 करोड़ 75 लाख के बैंक खाते भी सीज किए।**

दौसा में भी कारोबारी के यहां छापा

ईडी की एक टीम ने दौसा जिला मुख्यालय स्थित रेडीमेड कारोबारी के यहां भी रेड की है। सुबह अचानक टीम के पहुंचने का पता चलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम ने नया कटला स्थित राधिक ड्रेसेज पर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की। प्रतिष्ठान संचालक के आवास के चारों तरफ से दरवाजे व खिड़की बंद कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी के जल जीवन मिशन के उच्च अधिकारियों से तार जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार दौसा के मानगंज में भी ईडी की टीम ने नमन रावत के घर में छापा मारा। नमन रावत पीएचईडी के ठेकेदार बताये जा रहे हैं। साथ ही संजय बढ़ाया के रिश्तेदार भी हैं।

जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबियों के रूप में संजय बढ़ाया और नमन रावत को जाना जाता है। ऐसे में दौसा में सुबह करीब 7 बजे के 6 अधिकारी-कर्मचारी नमन रावत के घर में पहुंचे और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नमन रावत से पूछताछ में की गई हालांकि ईडी ने इस मामले को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

दो महीने पहले भी जयपुर में रेड मारी थी

गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले भी ईडी ने जयपुर में अलग-अलग जगह रेड मारी थी। सर्च के दौरान ढाई करोड़ रुपए नगद और सोने की ईट मिली थीं। ईडी को प्रोपर्टी कारोबारी संजय बढ़ाया और कल्याण सिंह कविया के घर से कई दस्तावेज भी मिले थे। इसके बाद सीनियर आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल का नाम सामने आया था। जांच में सामने आया कि इस पर संजय ने सबसे पहले अपना आईफोन 14 प्रो बदलकर उसकी जगह दूसरा मोबाइल ले लिया था। ईडी को बढ़ाया के घर से नकदी नहीं मिली, लेकिन जो दस्तावेज मिले वो ईडी की जांच आगे बढ़ाने के लिए काफी थे।

दस्तावेजों में कई अधिकारी, राजनेताओं को पैसा लेने और देने के सबूत होने का दावा किया जाता है। कुछ रजिस्ट्री के दस्तावेज भी ईडी को मिले थे। दो महीने पहले हुई रेड में कल्याण सिंह कविया के घर से ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के नामों से रजिस्टर्ड जमीनों के कागजात मिले थे। कविया जयपुर के वैशाली नगर, करणी पैलेस रोड, गांधी पथ सहित कई इलाकों में प्रोपर्टी का बिजनेस करता है। इस आधार पर माना जा रहा था कि ईडी ऐसे अधिकारियों और राजनेताओं से पूछताछ भी कर सकती है।

सार-समाचार

एम.बी.सी. को पांच फीसदी आरक्षण नहीं देने पर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती-2022 में अति पिछड़ा वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना एमबीसी वर्ग के तहत याचिकाकर्ता का चयन कर लिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश सुखदेव गुर्जर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 16 दिसंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक के 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई। इनमें से 285 पद विशेष शिक्षकों के लिए रखे गए थे। राज्य सरकार को इन विशेष शिक्षकों के पदों का पांच फीसदी एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखना था। गत 2 जून को जारी अंतरिम परिणाम में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया। वहीं बाद में अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया गया। यदि राज्य सरकार की ओर से एमबीसी वर्ग के लिए पांच फीसदी पद आरक्षित रखे जाते तो याचिकाकर्ता के अंकों के आधार पर उसका चयन सुनिश्चित था। याचिकाकर्ता ने जब इस संबंध में विभाग में प्रार्थना पत्र पेश किया तो उसे जानकारी दी गई की इन पदों की गणना जिला स्तर पर की गई है। इसलिए एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी आरक्षण नहीं मिला है और इस कारण उसका चयन नहीं हुआ। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय भर्ती निकाली थी और चयन प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर ही की गई थी। ऐसे में एमबीसी वर्ग के पदों के लिए आरक्षण की गणना भी राज्य स्तर पर ही की जानी चाहिए।

उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हमास जैसी आतंकी घटना : मनोज तिवारी

जयपुर। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और नई दिल्ली सासंद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकी संगठन हमास की समर्थक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस हद तक तुष्टिकरण के पोषक हैं। उदयपुर में एक छोटे दुकानदार कन्हैयालाल टेलर की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, और उसका विडियो बनाया जाता है यहीं से हमास जैसी आतंकी गतिविधियों की शुरूआत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया इन घटनाओं को छिटपुट और सामान्य घटना बताते हैं। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और नई दिल्ली सासंद मनोज ने कहा कि राजस्थान जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर वाले प्रदेश में आज क्या हो रहा है भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल कोई राज्य है तो वह राजस्थान है।

खोया पाया

मैं डॉ. लिपिका चावला पुत्री मनीष कुमार चावला निवासी-86 टैगोर नगर, करतारपुरा, जयपुर मेरी BHMS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, करतारपुरा में कहीं दिनांक 01.11.2023 को खो गयी है। मिलने पर सूचित करें-9694776202

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार का भूखंड संख्या 319 का सोसाइटी द्वारा जारी पट्टा साइट प्लान व मूल रसीद कही गुम हो गई मिलने पर सूचित करे। Shinderpal Kaur 8209724462

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिकॉर्ड अनुसार समिति की योजना गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर में भूखण्ड संख्या 39 समिति द्वारा श्रीमती सुमन रावत पत्नी श्री एच.एस. रावत के नाम से समिति ने आवंटन किया था। जिसकी आवंटन दिनांक 27.12.1995 और जिसका क्षेत्रफल 216.06 वर्गगज है। जरीये इकरारनामा श्री देवी सहाय सक्सेना पुत्र श्री रूप किशोर सक्सेना को 30.12.2006 को बेचान कर दिया था। जिसका डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र समिति में श्रीमती अनिता सक्सेना पत्नी स्व. श्री देवी सहाय सक्सेना ने प्रस्तुत किया है श्रीमती अनिता सक्सेना ने जवाहर सर्किल पुलिस थाना जिला जयपुर पूर्व में गुमशुदी क्रमांक नं. 133 दिनांक 30.10.2023 को दर्ज करा कर के समिति को दिनांक 31.10.2023 प्रस्तुत किया है जिसके मूल आवंटन पत्र रसीद साइड प्लान प्रार्थी से गुम हो गये है जिसका डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र श्रीमती अनिता सक्सेना पत्नी स्व. श्री देवी सहाय सक्सेना ने प्रस्तुत किया है। अतः आम सूचना के द्वारा सर्वसाधारण समस्त व्यक्ति, संस्था, बैंक समस्त सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग आदि को सूचित किया जाता है कि इस बाबत कोई एतराज हो तो समिति कार्यालय में प्रातः 10 से सायं 5 बजे के मध्य मय सबूत 15 दिवस के भीतर सम्पर्क करें। बाद गुजरने मियाद समिति द्वारा उपरोक्त भूखण्ड का डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा। ततपश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
आज्ञा से-मंत्री, पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर (राजस्थान) रजि.नं. 2965/एल

हार के भय से मुख्यमंत्री लगा रहे हैं मनगढंत आरोप : सी.पी.जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदेश की जनता को सात गारंटी देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झांसेबाज अशोक गहलोत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सिर्फ सत्ता बचाने की गारंटी रखी। इनकी वास्तविक सात गारंटी किसानों के साथ कर्ज माफी का धोखा, महिला दुष्कर्म और अत्याचार, युवाओं के रोजगार माफियाओं को बेचना, कुशासन, खनन माफियाओं को पनपाना, सभी विभागों में भ्रष्टाचार रहे हैं। इनकी गारंटी चाइनीस खिलौनों जैसी है, जो कभी भी टूट सकती है।

सीपी जोशी ने कहा कि इनकी वादाखिलाफी प्रदेश की जनता देख चुकी है। अब ये जो सात गारंटियों की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ झांसेबाजी का ड्रामा है। 3 दिसंबर को इस सरकार की विदाई तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर अभी से हार को घबराहट नजर आने लगी है। जोशी ने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे पर गहलोत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में क्या कार्य किया। कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रही है। ईआरसीपी पर गहलोत सरकार कभी संवेदनशील नहीं रही। मध्य प्रदेश सरकार से कितनी मीटिंग की?

- **'कांग्रेस सरकार की कोई गारंटी नहीं, फिर भी अशोक गहलोत कर रहे हैं झांसेबाजी का ड्रामा'**

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा बनाए गए प्रपोजल को आगे बढ़ाने में कितनी रुचि दिखाई? मध्यप्रदेश में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, तब ईआरसीपी योजना पर पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी, उस समय गहलोत सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया। इनकी लापरवाही से ही यह प्रोजेक्ट अटका है और अब इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो कहती है वह करती है।

भजनलाल शर्मा ने भरा नामांकन

जयपुर। भाजपा सांगानेर से विधायक प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने हजारों कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ अपने प्रधान कार्यालय विजयपथ से रास्ते में जनता का आशीर्वाद लेते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। शर्मा ने कहा सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के संकल्प के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान विधायक अशोक लाहोटी, सांसद रामचरण बोहरा, घनश्याम तिवाड़ी सहित कई नेता मौजूद रहे।

आम सूचना सूचित किया जाता है कि एक आवासीय प्लाट नम्बर बी-172, पुराना विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 50.00 वर्गगज के स्वामित्वाधिकार श्री मूल चन्द द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.04.2004 के द्वारा उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्रीमती सुमन देवी को प्राप्त हुये तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण पत्र दिनाँक 01.12.2020 को श्रीमती सुमन देवी के नाम जारी कर दिया गया। श्रीमती सुमन देवी से उक्त सम्पत्ति को श्रीमती जमीला क्रय कर रही हैं तथा उक्त क्रय बाबत् मेरी अभिभाष्या ऋणदात्री संस्था L&T Finance Ltd. से ऋण प्राप्त कर रही हैं। उक्त सम्पत्ति स्वामित्व एवं क्रय व ऋण बाबत् किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 14 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी। पुलकित गर्ग, एडवोकेट
MZ-4, अलंकार टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016, मो. 09828084002

नाम परिवर्तन

मैं प्रवीण चौधरी पुत्र श्री हरि सिंह चौधरी, निवासी 54-ए, अर्पित नगर, वैशाली नगर, जयपुर राज. 302021 का निवासी हूँ मेरी पुत्री के स्कूल रिकाई में माता का गलत नाम मीनू चौधरी अंकित है, जबकि माता का सही नाम मीना चौधरी है। मेरी पुत्री के स्कूल रिकाई सही करवाने बाबत प्रकाशित करवा रहा हूँ।

मैंने अपना नाम अब्दुल हकीम खान पुत्र अब्दुल हफीज खान से बदलकर अब्दुल हकीम अंसारी पुत्र अब्दुल हफीज रख लिया है एवं मेरे दस्तावेजों में त्रुटिवश जन्मतिथि 19.06.1967 गलत दर्ज है जबकि वास्तविक जन्मतिथि 01.01.1968 है। 5239 चांदी का ताजिया घाटगेट, जयपुर

मैं सुभाष जांगिड, पता 13, बजरंग विहार-9 रोड नंबर 14, हरमाडा, सीकर रोड, जयपुर अपना नाम सुभाष चन्द्र जांगिर पुत्र मोहन लाल जांगिर से बदलकर सुभाष जांगिड पुत्र मोहन लाल जांगिड रख लिया है। जरिये शपथ पत्र बीएस-577827 नोटरी जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या गुलाब देवी पत्नी प्रहलाद, निवासी 17, हरबंशपुरा, मदाऊ, जयसिंहपुरा, जयपुर, राज. के हक, अधिकार व स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नंबर 84, 60, 60/250, 60/251, 62, 63/258, 64, 64/259 वाके स्थित ग्राम कनकपुरा, पटवार हल्का मीनावाला, बस्सी सीतारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर, राज. पर स्थित है जिसमें विवाह स्थल कनक पैलेस एवं माण्डना पैराडाईज स्थित है जिसमें मेरी अभिभाष्या का 1/9 हक, हिस्सा व अंश है एवं मेरी अभिभाष्या ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नंबरान पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर उत्तर से दिनांक 05.12.2022 को प्रार्थना पत्र संख्या 49/2022 में स्टे/स्थगन प्राप्त कर रखा है ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उक्त सम्पत्ति को किराये पर लेता है, हस्तान्तरण, बेचान, बख्शीश आदि करता है या किसी भी प्रकार का निर्माण या मूलस्वरूप में परिवर्तन करता है तो उत्पन्न समस्त वाद विवाद एवं हर्जे खर्चे व परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित रहे।
जयपुर/दिनांक (रमन शर्मा) एडवोकेट, मो.नं. 7062310720

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे प्लाट नम्बर 4/H/359 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा योजना जयपुर का आवंटन पत्र क्रमांक 1674 दिनांक 08.02.2005 कब्जा पत्र 202 दिनांक 16.04.2005 अदेय प्रमाण पत्र 123 दिनांक 16.04.2005 डिक्लरेशन दिनांक 16.04.2005 को श्री आर.के. नायर को आवंटित हुआ था राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 4911 दिनांक 23.06.2023 द्वारा पत्नी श्री मृदुला नायर के नाम हस्तान्तरित करवा लिया है थाना करणी विहार क्षेत्र में कई खो गया है। मिलने पर सूचित करे-9351467841

राष्ट्रवादियों और साहित्य का महाकुंभ 'जयपुर डायलॉग' आज से

जयपुर, (का.सं.)। देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर जयपुर शहर में जयपुर डायलॉग्स-2023 का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 4 नवंबर से जेएलएन मार्ग स्थित होटल क्लार्क आमेर में होगा।

साहित्यक आयोजनों के प्रतिष्ठित मंच जयपुर डायलॉग-2023 के आठवें संस्करण में कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक साहित्यकार, विचारक, आलोचक, विषय विशेषज्ञ, विश्लेषक और टिप्पणीकार विभिन्न विषयों पर खुलकर संवाद करेंगे।

- **राजनीति, साहित्य और संस्कृति की नामचीन हस्तियां गुलाबी नगरी में करेंगी मंथन**
- **सुधांशु त्रिवेदी, मंसूर हल्लाज, शहजाद पूनावाला, आरती टिक्कू, प्रतीक बोराडे, अंबर जैदी सहित 60 से अधिक वक्ता श्रोताओं से होंगे रूबरू**

जयपुर डायलॉग फोरम के चेयरमैन संजय दीक्षित ने 4 नवंबर से होने वाले जयपुर डायलॉग्स-2023 के वार्षिक सम्मेलन के बारे में जानकारी दी।

जयपुर डायलॉग फोरम के चेयरमैन संजय दीक्षित ने बताया कि यह एक प्रकार का वैचारिक स्वतन्त्रता का आयोजन है। इस बार के सम्मेलन की थीम भारत एक चौराहे पर होगी साहित्य का कुंभ कहे जाने वाले दो दिवसीय इस आयोजन में देश में चल रही एक ही तरह की विचारधारा से अलग हटकर वैचारिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद को एक अलग तरह से रेखांकित करना ही इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम कर चुका जयपुर डायलॉग का यह वार्षिक आयोजन अब डिजिटल फुटप्रिंट पर भी है। दीक्षित ने बताया कि राष्ट्रवादियों के इस महा आयोजन में राष्ट्रीय विचारक सुधांशु त्रिवेदी, मंसूर हल्लाज, शहजाद पूनावाला, अभिजीत चावड़े, विक्रम संपत, आनंद रंगनाथन, मीनाक्षी जैन, प्रतिक बोराडे और अनुज धर जैसे अनेक विचारक और विषय विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। जयपुर डायलॉग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रकाश टेकवानी ने बताया कि कोरोना काल में लगातार 2 साल तक आयोजन से श्रोता अतिथियों से भौतिक रूप से रूबरू नहीं हो पाए थे। इस दौरान जयपुर डायलॉग वर्चुअल आयोजित किया गया था। टेकवानी ने बताया कि विकास और विनाश मैं विचारों का बड़ा महत्व है। विचारों को पतवार देने तथा विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना की सोच पर आधारित इस आयोजन में कई नवीन आयाम जुड़ने जा रहे हैं। बीते 7 वर्ष के काल में भी विचारों की इस कड़ी को निरंतर आगे बढ़ाया गया और अब देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों के वास्तविक स्तर तक इसे आगे पहुंचाने का क्रम जारी है। गौरतलब है कि इस कड़ी में अब वर्ष 2023 में जयपुर डायलॉग का आयोजन 4 और 5 नवंबर को होटल क्लार्क्स आमेर में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक विभिन्न सत्रों में किया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ 4 नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजे सरस्वती वंदना से होगा। आयोजन में देश के ज्वलंत मुद्दों पर एक मंच से विभिन्न विचारधाराएं रूबरू होंगी। साथ ही साथ आयोजन में शामिल श्रोता भी विभिन्न मुद्दों पर वक्ताओं से संवाद कर पाएंगे। आयोजन में प्रदेश के गणमान्य जन, शिक्षक, साहित्यकार, ब्यूरोक्रेट्स, शोधार्थी, विद्यार्थी और युवा वर्ग विशेष रूप से शामिल होंगे। दो दिवसीय आयोजन में 17 सत्रों में देश विदेश से 60 से अधिक नामचीन वक्ता भाग लेंगे।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय बड़े भाई **श्री अशोक कुमार शर्मा** का आकस्मिक निधन 02.11.2023 को हो गया है जिनकी तीये की बैठक 04.11.2023 को पताशे वालों की बगीची में 4 से 5 बजे होगी।
शोकाकुल- पं. कैलाशजी (भाई), मोहित, रोहित (भतीजे), छीतरमल जी, गोवर्धन जी, हनुमान जी (जीजाजी), राजेन्द्र जी (जवांई), यश, नक्ष, खुश (पौत्र), लक्ष्य, अविका (दोयता-दोयती)
मो.नं.- 7665491101, 9351666717

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांकः-DHC-II/2198 दिनांक :-3-11-23
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या-75/27, मानसरोवर, जयपुर, क्षैत्रफल 114.54 वर्ग मीटर/ वर्ग गज का आवंटन श्री गोविन्द नारायण गोयल पुत्र श्री कन्हैया लाल गोयल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 6445 दिनांक 22.02.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 28.02.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1786 दिनांक 03.02.2011 के द्वारा श्री गोविन्द नारायण गोयल पुत्र श्री कन्हैया लाल गोयल के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 29.01.2013 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री गोविन्द नारायण गोयल की मृत्यु दिनांक 15.03.2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री विजय गोयल पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण गोयल ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होन पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री विजय गोयल पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण गोयल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2190 दिनांक-03.11.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 51/160 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 92.25 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री उदय मल लोढ़ा पुत्र श्री अचल मल लोढ़ा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5078 दिनांक 30.03.1991 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.09.1991 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1634 दिनांक 21.12.1992 के द्वारा श्री उदय मल लोढ़ा पुत्र श्री अचल मल लोढ़ा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री उदय मल लोढ़ा की मृत्यु दिनांक 30.01.2006 को हो जाने के कारण इनके पुत्रान/पुत्री श्री केसरी मल लोढ़ा, श्री रिखब चन्द लोढ़ा एवं श्री धनराज लोढ़ा पुत्रान स्व. श्री उदय मल लोढ़ा एवं श्रीमती निर्मला छाजेड़ पत्नी श्री महावीर चन्द छाजेड़ ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री केसरी मल लोढ़ा, श्री रिखब चन्द लोढ़ा एवं श्री धनराज लोढ़ा पुत्रान स्व. श्री उदय मल लोढ़ा एवं श्रीमती निर्मला छाजेड़ पत्नी श्री महावीर चन्द छाजेड़ के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2194 दिनांक-03.11.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 30/41/02 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 45.20 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2134 दिनांक 27.12.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 22.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री गोपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 04.04.2013 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गोपाल सिंह के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/2189 दिनांक-03.11.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 117/429 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 50.93 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन कुमारी अनीला पुत्री श्री मंगल चन्द जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5921 दिनांक 30.03.1990 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 30.04.1990 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 706 दिनांक 11.06.1997 के द्वारा श्री हरीश कुमार पुत्र श्री भासाराम के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 02.11.2010 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री हरीश कुमार की मृत्यु दिनांक 16.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री जितेन्द्र टिलवानी पुत्र स्व. श्री हरीश कुमार ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री जितेन्द्र टिलवानी पुत्र स्व. श्री हरीश कुमार के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमति मंजू पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी प्लाट नं. 80-ए, हरि मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर-302006 द्वारा श्रीमती संतोष कंवर पत्नी श्री विक्रम सिंह व श्रीमती राजकंवर पत्नी श्री लाल सिंह, पुत्रियान स्व. श्री गोपी सिंह से उनकी स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति क्रमशः प्लाट नंबर 44 (उत्तरी पूर्वी हिस्सा पार्ट-3) व (उत्तरी पश्चिमी हिस्सा पार्ट-4) आवासीय योजना उमा पथ, रामनगर, सोडाला, जयपुर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 114.18 वर्गगज़ (57.09, 57.09 वर्गगज) है जो मूल प्लॉट संख्या 44 का भाग है को खरीद करने का इकरार किया हैं।
यह कि उक्त मूल प्लॉट संख्या 44 का पट्टा विलेख दिनांक 15.02.2003 जे.डी.ए. द्वारा श्री गोपी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के हित में जारी किया गया। श्री गोपी सिंह द्वारा वसीयतनामा दिनांक 20.07.2015 उक्त सम्पत्ति बाबत उनके वारीसान (1) कैलाश सिंह (2) रतन सिंह सोलंकी (पुत्रयान) (3) श्रीमती संतोष कंवर व (4) श्रीमती राजकंवर (पुत्रीयान) के हित में वसीयत कर दी गई। उक्त सम्पत्ति को जरिए विभाजन पत्र दिनांक 17.02.2020, 4 हिस्सों में विभाजित कर लिया गया, जिसमें उपरोक्त वर्णित (उत्तरी पूर्वी हिस्सा पार्ट-3) व (उत्तरी पश्चिमी हिस्सा पार्ट-4) श्रीमती संतोष कंवर व श्रीमती राजकंवर के हिस्से में आए। उक्त विभाजन पत्र बाबत एक शुद्धि पत्र दिनांक 06.06.2022 निष्पादित किया गया।
मेरी अभिभाष्या उक्त सम्पत्ति प्लाट नंबर 44 (उत्तरी पूर्वी हिस्सा पार्ट-3) व (उत्तरी पश्चिमी हिस्सा पार्ट-4) को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहती है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद/बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक-03.11.2023 मो.-9829256466

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुल्फरिक) वाद संख्या 288/2023
प्रार्थीगण का नाम- 1. मुक्तीलाल दायमा पुत्र श्री घीसालाल दायमा, उम्र 64 वर्ष, निवासी 21-ए, सत्य वाटिका करतारपुरा रेलवे फाटक के पास, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान हाल निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान
2. देवांश दायमा पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार दायमा, उम्र 6 वर्ष, निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान
3. मानस दायमा पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार दायमा, उम्र 4 वर्ष, निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान
विषय- प्रार्थना पत्र वास्ते मुक्तीलाल दायमा पुत्र श्री घीसालाल दायमा, उम्र 64 वर्ष, निवासी 21-ए, सत्य वाटिका करतारपुरा रेलवे फाटक के पास, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान हाल निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान को अप्राप्तव्य प्रार्थीगण देवांश दायमा पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार दायमा, उम्र 6 वर्ष, निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान तथा मानस दायमा पुत्र स्व. श्री राजेश कुमार दायमा, उम्र 4 वर्ष, निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान का संरक्षक नियुक्ति किये जाने हेतु।
विवाद- प्रार्थना पत्र वास्ते मुक्तीलाल दायमा पुत्र श्री घीसालाल दायमा, उम्र 64 वर्ष, निवासी 21-ए, सत्य वाटिका करतारपुरा रेलवे फाटक के पास, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान हाल निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान को अप्राप्तव्य प्रार्थीगण देवांश दायमा व मानस दायमा का संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु।
पेशी दिनांक-08.12.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-19 सपठित धारा 07, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 बाबत अप्राप्तव्य प्रार्थीगण देवांश दायमा व मानस दायमा की संरक्षकता हेतु। वास्ते नियुक्त किये जाने संरक्षक मुक्तीलाल दायमा पुत्र श्री घीसालाल दायमा, उम्र 64 वर्ष, निवासी 21-ए, सत्य वाटिका करतारपुरा रेलवे फाटक के पास, करतारपुरा, जयपुर, राजस्थान हाल निवासी बी-38/ए, करधनी स्कीम, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान
अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08.12.2023 को उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, मालपुरा जिला टोंक
उद्घोषणा इश्तहार
पीठासीन अधिकारी- रेशमा जानवानी, आर.जे.एस.
रामधन बनाम सर्वसाधारण वगै.
दीवानी वाद संख्या 106/2023
वाद बाबत घोषणा गोद (दत्तक)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में वादी रामधन पुत्र नाथू पि.मु. छोटू जाति बैरवा उम्र 46 वर्ष निवासी बैरवो का मोहल्ला ग्राम गणेशपुरा तन लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा ने छोटू पुत्र देवी लाल उर्फ देव्या निवासी ग्राम गणेशपुर तन लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा का दत्तक पुत्र घोषित किये जाने हेतु वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है। अतः सर्वसाधारण को जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि छोटू पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या निवासी ग्राम गणेशपुरा तन लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा का दत्तक पुत्र वादी रामधन को घोषित किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22.11.2023 को समय 10.30 ए.एम. पर व्यक्तिगत या जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर आपत्ती प्रस्तुत कर सकता हैं। नोटिस आज दिनांक 27.10.2023 को जारी किया गया। उद्घोषणा की प्रतियां सहायक नाजिर अदालत हाजा को भेजकर निर्देश दिया जाता है कि एक प्रति छोटूलाल के अन्तिम निवास स्थान पर, दूसरी प्रति अन्तिम निवास स्थान के सार्वजनिक स्थान पर, तीसरी प्रति न्यायालय हाजा के सूचना पट्ट पर एवं चतुर्थ प्रति पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित करवाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2023 से पूर्व इस न्यायालय को वापिस भिजवाई जावें।
मोहर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा जिला टोंक (राज.)